




महाराष्ट्र, पटनामेलाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र-1, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरबहादुर पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं०.एल०ए०/एस०एस०-1/श०स्था०नि०/
सेवा में,

कार्यपालक महाशय-से
नगर परिषद, रोहरीआलमिया नगर
जिला- रोहतास




महाशय,

नगर परिषद, रोहरीआलमिया नगर के वर्ष 2015-16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० 297/16-17 आशय सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कठिनाईयों का अनुसंधान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लघिम कठिनाईयों के उपलब्ध एवं सत्य अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समक्ष नमूने प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा खनपित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (बिहार शाखा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी प्रकार सूचना देने का जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक यथोपरि



भवदीय,

- ६० -

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं०-एल०ए०/एस.एस. - 1/श०स्था०नि०/14620/333

दिनांक- 06/12/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, नगर विकास एवं आपात विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, रोहतास

नवीर एमन 6/12/16
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

18279
13-12-16

श्री रामानंद
सिन्हा
14/12/16

0
40
544
12/12/16

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०- 297/16-17

भाग-1

प्रस्तावना

1. निरीक्षित कार्यालय का नाम:- नगर परिषद् डेहरीडालमिया नगर, रोहतास।
2. लेखा परीक्षा की अवधि:- 2015-16
3. लेखा परीक्षा की क्षेत्र:-लेखा परीक्षा में नमूना जाँच किए गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट -I एवं लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट-II पर हैं।
4. लेखा परीक्षा की तिथि:- 28-05-2016 से 08-06-2016
5. प्रशासन

क्र०	मुख्य पार्षद का नाम	अवधि
1.	श्री शम्भू राम	01.04.2015 से 31.03.2016
2.		

क्र०	उप मुख्य पार्षद का नाम	अवधि
1.	श्रीमती सुनीता देवी	01.04.2015 से 31.03.2016
2.		

क्र०	नगर कार्यपालक पदाधिकारी	अवधि
1.	श्री विरेन्द्र कुमार	01.04.2015 से मई 2015
2.	श्री अखिलेश्वर कुमार शर्मा	मई 2015 से अगस्त 2015
3.	मो० जमाल अख्तर अंसारी	अगस्त 2015 से 31.03.2016

6. लेखा परीक्षा दल के सदस्यगण:-
 1. श्री संजीव नयन, स०ले०प०अ०
 2. श्री राजकिशोर कुमार, पर्यवेक्षक
 3. श्री सुनील कुमार, व०ले०प०
 4. श्री सुमन कुमार ठाकुर, लेखापरीक्षक
7. निरीक्षि अधिकारी का नाम:- श्री रवि कुमार, ले०प०अ०

8. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 93 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को उन पर अपनी टिप्पणी

के साथ पेश करेंगे, जो जांचोपरांत उन्हें अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, साथ नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में लेखा परीक्षक द्वारा बतायी गयी त्रुटियों को दूर करेंगे। इसके अतिरिक्त धारा 94 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, नगरपालिका द्वारा लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन अंगीकार किए जाने के पश्चात उस पर नगरपालिका द्वारा की गयी कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ उन्हें राज्य सरकार को अग्रसारित करेंगे और इसकी प्रति स्थानीय लेखापरीक्षक को भेजेंगे।

नगर परिषद्, डिहरी डालमियॉनगर के वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन नगर परिषद्, डिहरी डालमियॉनगर के द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अंकेक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को भेज दिया जायगा। अतः जवाब के अनुरूप शीघ्र कार्रवाई की जाय।

9. सामान्य अभियुक्ति

नगर पंचायत डिहरी डालमियॉनगर की लेखा का संधारण संतोषप्रद नहीं था। इसमें सुधार की आवश्यकता है। अनुदान पंजी, अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया, गृह कर, मोबाईल टावर तथा सैरातों की वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास की आवश्यकता थी। नगर निकाय प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि इन अभिलेखों का संधारण करवाया जाए। कार्यालय द्वारा सरकारी अनुदानों की राशि को अवरोधित रखने की प्रवृत्ति पायी गयी तथा अनुदानों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा था। नगर निकाय कार्यालय द्वारा बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के अनुपालन में लेखाओं का संधारण नहीं किया गया था। अतः निकाय प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि लेखाओं का संधारण नियमानुकूल किया जाए।

10 कार्यपालक से वार्तालाप की गई :- हाँ

11 लेखापरीक्षा का परिणाम :- अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि--शून्य
वसूली हेतु सुझाई गई राशि-- 9133916
आपत्ति के अधीन रखी गई राशि-- 27026980
विस्तृत विवरणी विवरण परिशिष्ट-- V पर है।

12 बजट प्राक्कलन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 से 85 में नगरपालिका का बजट बनाने, उसकी मंजूरी तथा बजट अनुदान में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात यथा सम्भव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश करना है। नगर निकाय बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार अंगीकृत बजट राज्य सरकार को भेजेगी। यथा स्थिति

राज्य सरकार उपरोक्त उपधारा के अधीन प्राप्त बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से सम्बद्ध उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख के पूर्व नगर निकाय को लौटा देगी।

परन्तु नगर निकाय द्वारा बजट संचिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, इसे अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

13. वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र नहीं बनाया जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 88 तथा 89 में क्रमशः वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा के मद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का आय- व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं अदायगी को अंतर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त धारा 89 में प्रावधान किया गया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर पूर्ववर्ती वर्ष के लिए नगरपालिका की आस्तियों एवं दायित्वों से संबद्ध तुलन पत्र (BALANCE SHEET) तैयार करना है।

नगर परिषद्, डिहरी डालमियाँ नगर के वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि सभी वित्तीय वर्ष का वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र को नहीं बनाया गया था। वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र को तैयार नहीं करने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

14. आय- व्यय विवरणी एवं बैंक समाधान विवरणी नहीं बनाया जाना

नगर परिषद् डिहरी डालमियाँ नगर के प्रस्तुत किए गए लेखापाल/सहायक रोकड़ बहियों एवं आय- व्यय विवरणी के अनुसार वर्ष का आय-व्यय निम्नवत् था।

	2015-16		
प्रा० शेष	206490441.47		
प्राप्तियाँ	161395291.55		
कुल	367885733.02		
व्यय	77481930.17		
अंतशेष	290403802.85		

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. रोकड़ बहों का संधारण सही तरीके से नहीं किया गया है, प्राप्त राशि का पूर्ण विवरण अर्थात् स्वीकृतिदाता पदाधिकारी का पत्रांक/दिनांक एवं उद्देश्य दर्ज नहीं है। साथ ही व्यय राशि वर्गीकरण नहीं किया गया था।
2. किसी भी रोकड़बही में मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक आय- व्यय विवरणी तथा बैंक समाधान विवरणी नहीं तैयार किया गया।

3. संबंधित अभिश्रवों क्रमानुसार रक्षी संचिका में नहीं रखा गया था, सभी अभिश्रव अलग- अलग संचिका में थे जिसके फलस्वरूप सभी अभिश्रवों का मिलान रोकड़बही से नहीं किया जा सका।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में रोकड़बही का संधारण समुचित ढंग से किया जायगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

15. आंतरिक लेखापरीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 में आंतरिक लेखा परीक्षा का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राज्य सरकार या नगर निकाय प्रतिदिन के लेखाओं की लेखा परीक्षा की व्यवस्था उस रीति से करेगी जैसा कि वह उचित समझे।

नगर परिषद्, डिहरी डालमियोंनगर के वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगर निकाय कार्यालय द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। जिसके कारण नगर निकाय के प्राप्तियों तथा व्ययों में कई गंभीर अनियमिततायें पायी गयी जिसका विवरण आगे के ज्ञापनों में दिया गया है।

अतः लेखा परीक्षा में यह अवगत नहीं कराया गया कि नगर निकाय कार्यालय में वित्तीय अनुशासन एवं लेखा-नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या ठोस एवं सुदृढ कार्रवाई की गयी, एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 में विहित आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रावधानों के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गयी।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु नगर विकास की ओर से एवं अपने स्तर से कार्रवाई की जा रही है।

दावा अस्वीकरण प्रमाण-पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग- II (क)

कंडिका 1- सामग्री क्रय में अनियमितता एवं वैट आदि की कम कटौती रु 1.01 करोड़

नगर परिषद् डिहरी डालमियोंनगर के सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.08.2014 को कार्यावली संख्या 03 एवं नगर परिषद् बोर्ड की बैठक दिनांक 05.09.2014 के प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा प्रत्येक वार्ड में 25-25 एल0ई0डी0 लाईट पोल सहित एवं परिषद् क्षेत्र में रिंग रोड पर स्ट्रीट लाईट एवं चौक चौराहे पर फब्बारा एवं शहर के प्रवेश द्वार पर एल0ई0डी0 युक्त गेट लगवाने एवं हाई मास्ट लाईट

लगाने का निर्णय लिया गया। परन्तु संचिका में लगाये जाने वाले लाईटों के आवश्यकता का निर्धारण सर्वे कराकर या विस्तृत परियोजना (DPR) तैयार करा कर या अन्य पेशेवर तरीके से नहीं कराया गया था।

उक्त निर्णय के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डिहरी डालमियॉनगर द्वारा हाई मास्ट लाईट, एल0ई0डी0 लाईट एवं अन्य सामग्री हेतु निविदा निकाला गया जिसे पत्रांक 924 दिनांक-23.09.2014 द्वारा निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया जिसे दिनांक-29.09.2014 को दैनिक जागरण एवं राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया।

बिहार वित्त नियमावली 2005 के नियम 131 के अनुसार यदि क्रय सामग्री का मूल्य रू 10 लाख या अधिक हो तो तीन सदस्यीय क्रय समिति के गठन किये जाने का प्रावधान है, परन्तु क्रय समिति का गठन नहीं किया था, जो कि अनियमित था।

इस विज्ञापन के आलोक में कुल 3 निविदा नगर परिषद् कार्यालय में प्राप्त हुआ। तीनों निविदादाताओं के नाम इस प्रकार हैं।

1. लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एण्ड इलेक्ट्रिकल वर्क्स, वार्डसं0. 20, लक्ष्मीपुर, सीवान।
2. सती ट्रेडिंग कम्पनी, निरालानगर, सीवान।
3. भरद्वाज कंस्ट्रक्शन पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

दिनांक 14.10.2014 को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष तकनीकी निविदा खोली गयी एवं संलग्न कागजातों के आधार पर सती ट्रेडिंग कम्पनी, निरालानगर, सीवान एवं भरद्वाज कंस्ट्रक्शन पश्चिम चम्पारण, बेतिया को असफल घोषित कर दिया गया। जिसके परिणाम स्वरूप वित्तीय निविदा एक ही फर्म का खोला गया एवं एक ही फर्म के दर के आधार पर क्रय किया गया जो कि अनियमित है। इसे एकल निविदा का मामला मानते हुए, निविदा का पुनः विज्ञापन किया जाना चाहिए था। परन्तु अनियमित रूप से एक ही फर्म के दर के आधार पर समझौते वार्ता किया गया जिसमें निविदित दर से 3 प्रतिशत कम पर सहमति बनी एवं क्रय किया गया।

बिहार सरकार, वित्त विभाग के संकल्प संख्या 8672 दिनांक 11.09.2009 के द्वारा बुडा को राज्य के विभिन्न नगर निकायों के लिए उपयोग में आने वाली सामग्री एवं सेवाओं के दर निर्धारण एवं अधिप्राप्ति राज्य क्रय संगठन नामित किया गया था। परन्तु इस मामले में बुडा के माध्यम से दर निर्धारण अथवा क्रय नहीं किया गया जो कि अनियमित है।

क्रय किये गये सामग्रियों के भुगतान विपत्र से स्रोत पर चैट की कटौती की निर्धारित दर से नहीं की गयी।

क्र	सामग्री	आपूर्तिकर्ता	मूल्य	वैट दर	वैट राशि	वैट कटौती	वैट की कम कटौती	अभियुक्ति
सामग्री का विपत्र								
1	Supply of 65W LED street Light with complete required accessories system for installation in Existing Pole. (Make- Bajaj)	लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन एण्ड इलेक्ट्रिकल वर्क्स, वार्ड सं०. 20, लक्ष्मीपुर, सिवान।	10062780 266 Nos @ 37830 =10062780	13.5%	1358475	503139	855336	
अधिष्ठापन कार्य का विपत्र								
			अधिष्ठापन व्यय	सेवा कर दर	सेवा कर	सेवाकर कटौती	सेवाकर की कम कटौती	
अधिष्ठापन व्यय पृथक रूप से नहीं दर्शाया गया है जिसके फलस्वरूप सेवाकर की राशि की गणना नहीं की जा सकी।								

अभिध्रव पर यह अंकित है कि कार्य की मापी मापीपुस्त संख्या 01 के पृष्ठ संख्या 1 से 15 पर दर्ज है, परन्तु संचिका में मापी पुस्त संलग्न नहीं है, संबंधित मापी पुस्त को लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (0) एवं (P) के अनुसार किसी भी आपूर्ति पर Performance Security के रूप में गारंटी अवधि तक कुल मूल्य का 05-10 प्रतिशत की राशि Security deposit के रूप में कार्यालय द्वारा रखी जाती है, ताकि भविष्य में कुछ गड़बड़ी या असहमति होने पर राशि को Forfit की जा सके, परन्तु उपर्युक्त सामानों के अंतिम भुगतान के समय इस तरह की कोई राशि नहीं काटी गयी है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि एकरारनामा के कंडिका संख्या 2 से अंकित है कि आपूर्ति के पश्चात करों के कटौती के उपरान्त 05 प्रतिशत राशि सुरक्षित जमा राशि की कटौती के बाद भुगतान किया जायगा। परन्तु सुरक्षित जमा राशि रु 503139 (05 प्रतिशत) की कटौती नहीं की गयी।

अतः अतिरिक्त कटौती योग्य राशि रु 1358475 (वैट - रु 855336 एवं सुरक्षित जमा- रु 503139) के नहीं काटने के एवं अन्य उपर्युक्त त्रुटियों के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

अधिष्ठापित किये गये लाईटों में बिजली कनेक्शन/भुगतान की प्रक्रिया, बिजली विपत्र भुगतान संबंधी सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। संचिका में लाईटों का स्थानीय नागरिकों से अधिष्ठापन प्रमाण पत्र नहीं लिए गये थे परन्तु वार्ड पार्श्वों द्वारा अपने- अपने वार्ड में लगए गये लाईटों का अधिष्ठापन प्रमाण पत्र संलग्न था।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि एल0ई0डी0 क्रय में अनियमितता की तकनीकी पदाधिकारी से जाँच कराकर कार्रवाई की जायेगी। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय। रु 1358475 की वसूली की जाय एवं 8704305 (10062780- 1358475) आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कंडिका 2- रोकड़पाल के द्वारा राशि जमा नहीं रु 5438106

नगर परिषद डिहरी डालमियाँनगर के वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्राप्तियों के नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि रोकड़पाल श्री सुधीर कुमार राउत द्वारा संग्रह की गयी राशि से रु 5438106 कम जमा किया गया था।

विविध रसीद संख्या	तिथि	संग्रह राशि	
2301-2400	25.02.16 से 21.04.16	1480827	
2401-2469	21.04.16 से 26.05.16	849072	
1901-2000	11.02.15 से 11.08.15	265745	
2001-2100	12.08.15 से 18.12.15	1621281	
2201-2300	18.12.15 से 25.02.16	1321440	
2102-2122	07.10.15 से 30.05.16	56500	
विभिन्न कर संग्रहको से प्राप्त राशि जिसे जमा नहीं किया गया		1966441	विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- IV पर
	कुल	7561306	
बैंक में जमा राशि	01.06.15	750000	
	19.11.15	1373200	
	कम जमा	5438106	

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि सभी नाजीर द्वारा बैंक खाता में जमा राशि एवं समायोजित राशि की विवरणी निम्नवत् है।

1. कुल प्राप्त राशि - रु 7561306
2. नाजीर द्वारा बैंक में कुल नगद जमा - रु 5516814 (1.4.15 से 26.5.15)
3. चेक / ड्राफ्ट की राशि बैंक में जमा - रु 515436
4. अभिश्रव की राशि को समायोजित किया गया - रु 542056
5. विविध एवं अन्य राशि को समायोजित किया गया - रु 987000

नाजीर के पास शेष राशि शून्य बचती है।

उपरोक्त जवाब मान्य नहीं हैं क्योंकि क्रमांक 2 पर अंकित बैंक में जमा नगद राशि रु 2123200 (750000+ 1373200) का प्रमाण लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, शेष से संबंधित बैंक पासबुक/जमा का प्रमाण लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। चेक/ड्राफ्ट की जमा राशि का कोई चेकवार विवरण लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः इसे नहीं माना जा सकता है। क्रमांक 4 में अंकित अभिश्रव के राशि का प्राप्त राशि से समायोजन का कोई प्रावधान नगरपालिका लेखा नियमावली में नहीं है। इसी प्रकार क्रमांक 5 विविध एवं अन्य राशि के भी समायोजन का कोई प्रावधान नगरपालिका लेखा नियमावली में नहीं है। अतः बैंक में नाजीर द्वारा नगद जमा राशि का सत्यापन जिला पदाधिकारी

कार्यालय या नगर विकास विभाग के उच्च पदाधिकारी से कराया जाय एवं राशि ₹ 3314906 (5438106-2123200) शीघ्र नगर निधि में जमा कराया जाये।

भाग- II (ख)

कंडिका 3- संचार टावरों का अनधिकृत अधिष्ठापन एवं पंजीकरण और नवीकरण शुल्क की वसूली नहीं राशि रु 73.64 लाख

बिहार सरकार द्वारा संचार टावर संबंधित संरचना पर करों के सम्बन्ध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कोई संचालक जो पूर्व में संचार टावर स्थापित कर चुका है या स्थापित करना चाहता है उससे संबंधित दस्तावेज तथा विहित अपेक्षित फीस के साथ नगरपालिका को आवेदन करना है।

नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर परिषद् क्षेत्र में संचार टावर पंजीकरण शुल्क के रूप में रु 40000 प्रतिटावर एवं रु 10000 नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया है। नियम 6(4) के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त एंटीना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से लगाया जाएगा।

नियमावली 6(7) के अनुसार वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा आनुपातिक रूप से देय होगा अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपाजित तथा देय होगा।

नगर परिषद् डिहरी डालमियानगर के वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर परिषद् के द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार 36 संचार मीनार नगर क्षेत्र में अधिष्ठापित थे, जिस में से एक का स्थापना वर्ष अंकित नहीं है।

Year	No. of Towers	Dues on one Tower		
2007-08	7	242400	1696800	
2008-09	22	210800	4637600	
2009-10	4	181000	724000	
2010-11	2	153000	306000	
	35	TOTAL	7364400	

इन संचार मिनारों के विरुद्ध दिनांक 31.03.2016 तक कुल रु 7364400 बकाया था। इन संचार मिनारों से बकाया राशि की नियमानुसार वसूली की जाय।

प्रस्तुत सूची के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि नगर परिषद द्वारा मोबाईल टावर के अतिरिक्त एंटीना का सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के अनुसार अतिरिक्त एंटीना पर मूल टावर के 60 प्रतिशत के दर से शुल्क लेने का प्रावधान है। अतः अतिरिक्त एंटीना का सर्वे शीघ्र कराकर शुल्क की वसूली की जाय।

उक्त 36 संचार मिनार जिन व्यक्तियों के घरों और जमीनों पर अवस्थित थे, उन घरों एवं जमीनों के गृह कर/सम्पत्ति कर निकाय कार्यालय द्वारा किन दरों से वसूली की जा रही थी की विस्तृत विवरणी होल्डिंग संख्या सहित अतिशीघ्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे लेखा परीक्षा में यह ज्ञात नहीं हो सका कि नगर निकाय कार्यालय द्वारा निर्धारित व्यवसायिक दरों से उक्त घरों एवं जमीनों से गृह कर/सम्पत्ति कर वसूली की जा रही है अथवा नहीं।

जवाब में कहा गया कि सभी संचार टावरो को बकाया पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क की बकाया राशि ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई करते हुए बकाया राशि की वसूली की जाय।

कंडिका 4— फर्निचर क्रय में अनियमितता एवं वैट की कटौती नहीं रु 62274

नगर परिषद, डिहरी डालमिया नगर के वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखाओं की नमूना जाँच के क्रम में फर्निचर क्रय से संबंधित संचिकाओं के जाँच के क्रम में पाया गया कि सामग्रियों का क्रय नियमानुसार नहीं किया गया था। बिहार वित्त नियमावली के नियम 131(I) के अनुसार Limited Tender Enquiry की प्रक्रिया तब अपनायी जाती है जब अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्रियों का आकलित मूल्य पच्चीस लाख रुपये तक हो। बोली से संबंधित दस्तावेज की प्रतियाँ उन फर्मों को जिनका नाम नियम 131 के अन्तर्गत संदर्भित संबंधित वस्तुओं के लिए पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की सूची पर हो, सीधे स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक/कुरियर/ई-मेल द्वारा भेजी जानी चाहिए। सीमित निविदा पुछताछ में आपूर्तिकर्ता फर्मों की संख्या तीन से अधिक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सीमित निविदाओं के लिए वेब आधारित प्रचार किया जाना चाहिए। अधिकाधिक संख्या में प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर प्रत्युत्तरदायी बोलियाँ प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को चिन्हीत करने का प्रयास करना चाहिए। परन्तु संचिका में यह दर्ज करते हुए कि "भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार गोदरेज कम्पनी से सामग्री/उपस्कर क्रय हेतु कोटेशन/निविदा की आवश्यकता नहीं है। निविदा नहीं आमंत्रित किया गया और सीधे ही सामग्रियों का क्रय कर लिया गया। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम	सामग्री का नाम	सामग्री की सं०	राशि
1.	Godrej Premier Chair	24	99,315.36
2.	Godrej Office Table	09	91,212.48
3.	Godrej Storwel	05	89,280.60
4.	Godrej Exclusive Revolving Chair	02	28,889.49
5.	Godrej Exclusive Table	01	36,953.58
6.	Godrej Conference Table	08	63,474.19
7.	Godrej Conference Chair	08	52,165.68
Vat			62,274.33
Carriage Charge			6,200
TOTAL			529765.71

लेखापरीक्षा अभियुक्ति :-

(i) नगर परिषद् द्वारा निविदा के नियमों का पालन नहीं किया गया था जिसके कारण सामग्रियों के क्रय में प्रतियोगात्मक मूल्य के लाभ से नगर परिषद् को वंचित रहना पड़ा। भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानक, जिसके अनुसार गोदरेज कम्पनी से सामग्री/उपस्कर क्रय हेतु कोटेशन/निविदा की आवश्यकता नहीं है की प्रति भी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ii) बिहार वित्त नियमावली के नियम 13(P) के अनुसार निविदा का देय प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए सफल बोलीकर्ता, जिन्हें करार प्रदान किया जाय से Performance Security प्राप्त किया जाना है। Performance Security सभी सफल बोलीकर्ता से उनके उनके पंजीकरण स्टेटस को ध्यान में रखे बिना प्राप्त की जाएगी। Performance Security 5 से 10 प्रतिशत राशि तक होना चाहिए। Performance Security सभी तरह से क्रेता के हितों को सुरक्षित करने वाला/किसी वाणिज्यिक बैंक से स्वीकार योग्य फार्म में निर्गत एकाउन्ट पेयी डिमांड ड्राफ्ट/फिक्सड डिपोजिट रसीद/बैंक गारंटी हो सकता है। Performance Security वारंटी दायित्व सहित आपूर्तिकर्ता के सभी करार दायित्वों के पूरा होने की तिथि से साठ दिन बाद की अवधि तक वैध रहनी चाहिए। Performance Security की प्राप्ति पर सफल बोलीकर्ता को Bid Security वापस कर दी जानी चाहिए।

परंतु नगर परिषद् द्वारा ऐसा नहीं किया गया और पूरा भुगतान अनियमित तरीके से कर दिया गया। इस प्रकार Performance Security प्राक्कलित राशि रु० 4,61,290 का 10 प्रतिशत अर्थात रु० 46,129 आपूर्तिकर्ता को अनियमित तरीके से भुगतान कर दिया गया।

(iii) बिहार वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रकार की सामग्री के भुगतान के समय वैट की कटौती कर ही भुगतान किए जाने का प्रावधान है। तथा वैट के रूप में कटौती की गई राशि वाणिज्य कर विभाग में जमा कर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसा नहीं किए जाने पर जिम्मेवार व्यक्तियों से दोगुनी राशि की वसूली का प्रावधान है। संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सामग्री क्रय हेतु किए गए भुगतान के समय वैट की राशि रु 62,274 की कटौती नहीं की गयी थी।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि तकनीकी पदाधिकारी से जाँच कराकर कार्रवाई की जाएगी। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई करते हुए वैट की कटौती योग्य राशि रु 62274 संबंधित फर्म से वसूल कर वाणिज्यकर विभाग को भेजा जाय।

कंडिका 5— बस पड़ाव की बकाया बंदोबस्ती की राशि रु 167928 की वसूली नहीं किया जाना

नगर परिषद, डिहरी डालमिया नगर के वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखाओं की नमूना जाँच के क्रम में सैरात बंदोबस्ती से संबंधित संचिकाओं की जाँच के क्रम में पाया गया कि बस पड़ाव की बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए रु 6,00,100 में किया गया था। बन्दोबस्ती राशि का 75 प्रतिशत रु 4,50,075 कार्यादेश निर्गत करने के समय जमा कर दिया गया था जबकि शेष 25 प्रतिशत अर्थात् रु 1,50,025 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी बन्दोबस्तधारी द्वारा जमा नहीं किया गया। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

सुरक्षित जमा राशि - 3,88,500

बन्दोबस्ती राशि - 6,00,100

जमा राशि - 4,50,075

बकार्या राशि - 1,50,025

स्टाम्प शुल्क की राशि - 18,003 (बन्दोबस्ती राशि का 3 प्रतिशत)

बन्दोबस्तधारी का नाम - संतोष पाण्डेय, जगदीशपुर, काराकाट, रोहतास

लेखापरीक्षा अभियुक्ति -

(i) एकरारनामा की शर्त 4 तथा 5 के अनुसार पाँच माह पूर्ण होने पर शेष वार्षिक किस्त जमा करना अनिवार्य होगा। दो माह से अधिक विलम्ब से शेष किस्त की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में कार्यपालक पदाधिकारी निर्धारित अवधि के अंदर विलम्ब शुल्क के साथ राशि जमा करने हेतु सूचित करेंगे। अवधि समाप्ति के बाद एकरारनामा रद्द करने का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी को होगा। परन्तु बन्दोबस्तधारी द्वारा पाँच माह पूर्ण होने पर शेष वार्षिक किस्त जमा नहीं करने के बाद भी कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा न तो विलम्ब शुल्क के साथ राशि जमा करने हेतु कोई सूचना दी गयी और न ही एकरारनामा रद्द किया गया। एकरारनामा में विलम्ब शुल्क की दर/राशि भी निर्धारित नहीं किया गया था जो कि त्रुटिपूर्ण एकरारनामा का प्रतीक है।

(ii) इंडियन निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 17(1)(डी) के अनुसार अचल सम्पत्तियों के बंदोबस्ती निबंधन/पंजीकरण होना आवश्यक है। इंडियन स्टाम्प एक्ट के सिडयूल 1(अ) के अनुसार एकरारनामा का पंजीकरण बंदोबस्ती की राशि के 03 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पेपर पर होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव बिहार सरकार (पत्रांक 1920/रजि0/मु0 सचिव दिनांक 14.08.02) एवं सचिव सह महानिरीक्षक रजिस्ट्रेशन (पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05) के द्वारा सभी विभागों को पूर्व में ही सूचित किया गया है। बन्दोबस्ती का एकरारनामा कार्यपालक पदाधिकारी एवं बंदोबस्तधारी के बीच मात्र रु0 100 मूल्य के गैर न्यायिक मुद्रांक पर किया गया था। इस प्रकार रु0 17,903 के कम के स्टाम्प शुल्क पर एकरारनामा करने के कारण समतुल्य राशि की हानि सरकार को संबंधित मद में हुई।

नगर परिषद कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि बन्दोबस्ती के बकाया राशि की वसूली कर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जायगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई करते हुए रु 167928 (150025+17903) की वसूली की जाय।

कंडिका 6— टिन टिकट तथा विज्ञापन/होर्डिंग की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण हानि

नगर परिषद, डिहरी डालमिया नगर के वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखाओं के नमूना जॉच के क्रम में सैरात बंदोबस्ती से संबंधित संचिकाओं के जॉच के क्रम में पाया गया कि टिन टिकट तथा विज्ञापन/होर्डिंग की बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष 2015-16 में नहीं हो पाने की स्थिति विभागीय वसूली नहीं किए जाने के कारण नगर परिषद को न्यूनतम रु0 4,29,550 की संभावित हानि हुई। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि
1.	टिन टिकट	55,550
2.	विज्ञापन/होर्डिंग	3,74,000
	कुल	4,29,550

संचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त सैरात की बंदोबस्ती हेतु समाचार पत्र में विज्ञापन निकाले जाने के बाद भी बंदोबस्ती में किसी भी व्यक्ति के भाग नहीं लेने के कारण उक्त सैरात की बंदोबस्ती स्थगित कर दी गयी थी। बंदोबस्ती नहीं होने की स्थिति में अनिवार्य रूप से विभागीय वसूली की जानी चाहिए थी। विभागीय वसूली नहीं किए जाने के कारण नगर परिषद को न्यूनतम रु0 4,29,550 की संभावित हानि हुई।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः इस मामले में जिम्मेवार व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाय।

कंडिका 7- लैपटॉप क्रय की संचिका का प्रस्तुत नहीं किया जाना

नगर परिषद्, डिहरी डालमिया नगर के वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखाओं की नमूना जाँच के क्रम में लेखापाल रोकड बही की जाँच के क्रम में पाया गया कि लैपटॉप क्रय हेतु रु0 12,93,200 का भुगतान किया गया था। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम	चेक सं०/तिथि	निधि का नाम	राशि
1.	--/09.05.15	अंकित नहीं	7,90,000
2.	--/11.05.15	अंकित नहीं	5,03,200
		कुल	12,93,200

लेखापरीक्षा अभियुक्ति :-

(i) रोकड बही में चेक सं०, बैंक का नाम तथा खाता सं० अंकित नहीं किया गया था जिसके कारण यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि किस चेक से उपरोक्त व्यय का भुगतान किया गया था। उक्त व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र, अभिश्रव तथा संचिका की बार- बार मौखिक रूप से माँग किए जाने के बाद भी लेखापरीक्षा में उक्त संचिका को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। उक्त व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र, अभिश्रव तथा संचिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि कृत व्यय कि सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि लैपटॉप क्रय संचिका अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जायगा। अतः संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने तक उपरोक्त मद में किया गया कुल व्यय रु 1293200 लेखापरीक्षा आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

कंडिका 8- सोलर लाईट मरम्मती की संचिका का प्रस्तुत नहीं किया जाना

नगर परिषद्, डिहरी डालमिया नगर के वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखाओं की नमूना जाँच के क्रम में लेखापाल रोकड बही के जाँच के क्रम में पाया गया कि नगर परिषद् के अन्तर्गत सोलर लाईटों की मरम्मती हेतु अक्षय उर्जा शॉप, राज इलेक्ट्रॉनिक्स, सासाराम को रु0 67,44,975 का भुगतान किया गया था। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम	चेक सं०/तिथि	निधि का नाम	राशि
1.	--/06.05.15	13 th F C	40,00,000
2.	--/06.05.15	13 th F C	8,52,500
3.	--/11.05.15	M F	18,92,475
		TOTAL	67,44,975

लेखापरीक्षा अभियुक्ति :-

(i) रोकड़ बही में चेक सं०, बैंक का नाम तथा खाता सं० अंकित नहीं किया गया था जिसके कारण यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि किस चेक से उपरोक्त व्यय का भुगतान किया गया था। उक्त व्यय से संबंधित संचिका की बार- बार मौखिक रूप से माँग किए जाने तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, डिहरी डालमिया नगर, रोहतास के साथ चर्चा के दौरान उक्त संचिका की माँग किए जाने के बाद भी लेखापरीक्षा में उक्त संचिका को प्रस्तुत नहीं किया गया। संचिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से कि कृत व्यय की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि सोलर लाईट से संबंधित संचिका अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जायगा। अतः संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने तक उपरोक्त मद में किया गया कुल व्यय रु 6744975 लेखापरीक्षा आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

कंडिका 9— कबीर अंत्येष्टि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, अभिश्रव तथा संचिका का प्रस्तुत नहीं किया जाना।

नगर परिषद्, डिहरी डालमिया नगर के वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखाओं की नमूना जाँच के क्रम में लेखापाल रोकड़ बही के जाँच के क्रम में पाया गया कि नगर कर्मियों को कबीर अंत्येष्टि योजना की राशि लाभुकों को आवंटित करने हेतु रु० 3,62,000 का अग्रिम भुगतान किया गया था। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम	चेक सं०/तिथि	राशि	किसे अग्रिम दिया गया
1.	617936/26.11.15	50,000	अमर कुमार
2.	617937/27.11.15	90,000	"
3.	617938/05.12.15	60,000	"
4.	617939/14.01.16	57,000	कृष्ण देव पासवान
5.	617941/16.02.15	1,05,000	सुधीर कु० रावत
	कुल	3,62,000	

लेखापरीक्षा अभियुक्ति :-

(i) उक्त व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र, अभिश्रव तथा संचिका की बार- बार मौखिक रूप से माँग किए जाने के बाद भी लेखापरीक्षा में उक्त संचिका को प्रस्तुत नहीं किया गया। सुधीर कु० रावत के रु 105000 के अभिश्रव को छोड़कर अन्य व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र, अभिश्रव तथा संचिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि कृत व्यय की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि सुधीर कु० रावत द्वारा 105000 का अभिश्रव प्रस्तुत कर दिया गया है, शेष आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जायगा। अतः संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने तक उपरोक्त मद में किया गया कुल व्यय रु 257000 (362000- 105000) लेखापरीक्षा आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।